



2026:AHC: 57649

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5281/2026

निजामुद्दीन उर्फ सोममान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: डॉ.कमलेश कुमार, राकेश कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक निजामुद्दीन उर्फ सोममान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 837/2025, एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धारा 8/20 के अंतर्गत, थाना खलीलाबाद, जनपद सन्त कबीर नगर में पंजीकृत मुकदमे में विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभिकथनों के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक एवं सह-अभियुक्त व्यक्ति एन.डी.पी.एस.. अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने में संलिप्त थे और पंजीकरण संख्या यूपी 51 सीटी 1723 के पिक-अप वाहन से 151.200 किलोग्राम प्रतिबन्धित गाँजा बरामद होना बताया गया है, और इस प्रकार अभियुक्त-आवेदक एवं सह-अभियुक्त प्रदीप चौधरी के कब्जे से संयुक्त बरामदगी दर्शायी गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि समान भूमिका वाले अन्य सह-अभियुक्तगण, यथा – लखन लाल उर्फ लखन गौड़ एवं सदारे आलम को, जिनमें वाहन के चालक प्रदीप चौधरी भी सम्मिलित हैं, आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 39102/2025,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2636/2026 एवं 43988/2025 में क्रमशः दिनांक 25.02.2026, 20.02.2026 एवं 19.01.2026 को पारित आदेशों द्वारा पहले से ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि फर्द बरामदगी तैयार करते समय कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्षी उपस्थित नहीं था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धाराओं 42, 50, 52ए एवं 57 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का वर्तमान वाद के अतिरिक्त पाँच वादों का आपराधिक इतिहास है, जिसे पूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर 3 में स्पष्ट किया गया है। विद्वान एजीए के कथन के अनुसार इस मुकदमे में आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त-आवेदक दिनांक 14.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण के निष्कर्ष में पर्याप्त लम्बा समय लगेगा और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय के मार्ग से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान एजीए ने अभियुक्त-आवेदक के प्रस्तुतीकरण का प्रबल विरोध किया है और कहा है कि एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धाराओं 42, 50, 52A एवं 57 के प्रावधानों का प्राधिकारी द्वारा इस वाद में विधिवत् अनुपालन किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः ऐसी ही गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

6. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के नियम 9 एवं 10 निम्नानुसार हैं –

"9. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे – अधिनियम की धारा 52ए की उपधारा (2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आवेदन किए जाने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब्त सामग्री के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाएँ और उक्त उपधारा के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाएँ।

10. नमूने लेना – (1) जब्त किए गए प्रत्येक पैकेज एवं कन्टेनर से एक नमूना, द्विप्रति में, लिया जाएगा।



(2) जब एक साथ जब्त किए गए पैकेज एवं कन्टेनर समान आकार एवं भार के हों, जिन पर समान अंकन हो तथा प्रत्येक पैकेज की सामग्री ड्रग्स पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दे, जो निर्णायक रूप से यह इंगित करे कि पैकेज सभी दृष्टियों से एक समान हैं, तो पैकेज एवं कन्टेनरों को दस से अधिक पैकेज या कन्टेनरों के लॉट में सावधानीपूर्वक समूहबद्ध किया जा सकता है, और ऐसे प्रत्येक लॉट के लिए एक नमूना, द्विप्रति में, लिया जाएगा –

परन्तु गाँजा, पोस्त भूसा एवं हशीश (चरस) के मामले में इसे चालीस से अधिक पैकेज या कन्टेनरों के लॉट में समूहबद्ध किया जा सकता है।

(3) किसी विशेष लॉट से नमूना लेने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस लॉट के प्रत्येक पैकेज या कन्टेनर से समान मात्रा में प्रतिनिधिक नमूना लेकर उन्हें एक साथ मिलाकर एक समग्र मिश्रण तैयार किया जाए, जिसमें से उस लॉट के नमूने लिए जाएँ।"

7. एन.डी.पी.एस.. अधिनियम के अंतर्गत जमानत प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धारा 37 का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है –

"37. अपराधों का संज्ञेय एवं गैर-जमानतीय होना – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी –

(ए) इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए तथा व्यावसायिक मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत पर अथवा अपने बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि –

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; और

(ii) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करे, वहाँ न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) उपधारा (1) के खंड (बी) में विनिर्दिष्ट जमानत प्रदान करने पर सीमाएँ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत जमानत प्रदान करने पर लगाई गई सीमाओं के अतिरिक्त होंगी।"

8. अतः न्यायालयों को जिन शर्तों के प्रति सचेत रहना होगा वे यह हैं कि यह विश्वास करने के उचित आधार हों कि अभियुक्त "ऐसे अपराध का दोषी नहीं है" और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नहीं है – "दोषी नहीं" का तात्पर्य यह है कि यह केवल प्रथम दृष्टया निर्धारण हो सकता है।

9. **पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, 1999 (6) एस सी सी 172** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन अनिवार्य है –

".....कि जब कोई सशक्त अधिकारी अथवा विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी पूर्व सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत निकटतम राजपत्रित अधिकारी अथवा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार से अवगत कराए.....

(2) कि सम्बन्धित व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित न किए जाने से अभियुक्त को पूर्वाग्रह होगा।"

10. **पंकज बंसल बनाम भारत संघ, 2024 (7) एस सी सी 576, प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), 2024 (8) एस सी सी 254 एवं विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, ए आई आर 2025 एससी 1388** के निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराने की आवश्यकता अनुच्छेद 22(1) की अनिवार्य अपेक्षा है तथा यह भी कि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि आधारों का खण्डन करने वाले मूल तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान उसे प्रभावी रूप से उस भाषा में संसूचित किया जाए जिसे वह समझता हो।



11. यह विचार करते हुए कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक अन्य चार सह-अभियुक्तगण के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, तथापि 151.200 किलोग्राम प्रतिबन्धित गाँजा उस पिक-अप वाहन से बरामद होना बताया गया है जिसमें अभियुक्त-आवेदक चालक की सीट के बगल में बैठा था; समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तगण, यथा – लखन लाल उर्फ लखन गौड़ एवं सदारे आलम को, जिनमें वाहन के चालक प्रदीप चौधरी भी सम्मिलित हैं, पहले से ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; अभियुक्त-आवेदक दिनांक 14.09.2025 से कारागार में है; विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपराधिक इतिहास आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है; विद्वान ए.जी.ए. के कथन के अनुसार इस वाद में दिनांक 05.11.2025 को आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल किया जा चुका है और इस प्रकार अभियोजन साक्षियों को भयभीत करने एवं दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है; तथा एन.डी.पी.एस.. अधिनियम की धारा 37 में प्रतिपादित द्वि-सिद्धान्तों पर विचार करते हुए, बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो भारी प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए –

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को डराएगा।

(ii) आवेदक यह वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा –

(i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने तथा (iii) अभियुक्त का अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बयान अभिलिखित किए जाने।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

13. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभू की पहचान एवं निवास प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

20 मार्च, 2026

अंकित